22/4/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक लोग द्वारा कार्य बहिष्कार किया हुआ है। अभिभावक अनुपस्थित। अप्रार्थी उपस्थित। लिखित बहस पेश की गई। अप्रार्थी ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर आज ही सुने जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी ने निवेदन किया कि अधिवक्ता द्वारा उपस्थित नहीं हो रहे (स्वयं) प्रार्थी भी उपस्थित नहीं है किन्तु प्रकरण में पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है यदि अप्रार्थी को आज नहीं सुना गया तो अप्रार्थी को भारी नुकसान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:10:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	होगा। जिसकी कीमत मैं आंकलन किया जा सकता। अपार्थी को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। लिखित बहस का अवलोकन किया गया। वाद वर्णित भूमि दर्ज के प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 के पिता गुमानसिंह की मृत्यु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागु होने के पश्चात हुई है। इसलिए गुमानसिंह की मृत्यु होते ही वादी के प्रतिवादी सं. 3 से 6 व अवानेदक सं. 1 व उसकी माता बालिका बराबर खातेदार बन गये थे। इस भूमि मैं से वादी के प्रतिवादी सं. 3 से 6 के हकपुकारी में कुछ भूमि का बेचान भी किया है। जिसके बयान प्रस्तुत कर चुके है। उन्ही का मसला भी है। उपखण्ड अधिकारी गुढ़ा जिला झुन्झुनूं (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:10:44 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत जज | नम्बर व अहलकार हुक्म की जारी हो

जब बटवारा हुआ तो विक्रम
के बाद शेष रही भूमि खसरा:
488, 491, 494, 495, 496, 497,
498, 501, 513, 804, 806, 807,
812, 876, 899/4 935, 936,
3143/929 किता 18 कुल रकबा 15.12
निर्मित हुये। इस प्रकार गुमानसिंह
की 78 बीघा 13 बिस्वा भूमि थी।
जिसमें से गुमानसिंह ने अपने जीवन
काल में बेचान करके पश्चात किता
18 रकबा 15.12 है व खसरा नं.
489, 499 शेष रही। इस भूमि में
गुमानसिंह की मृत्यु के बाद अप्रार्थी
सं. 1 व दावा के प्रतिवादी सं. 3 से 6
का प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा था।

वास्तव अभिलेख के अनुसार
वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी का
हिस्सा है। [illegible] विवाद
के लिये [illegible] आवश्यक विचारणीय
बिन्दुओं पर [illegible] जाकर उनका
निस्तारण किया जाना अति आवश्यक
है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:10:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी गुढ़ा
जिला झुन्झुनूं (राज.)

सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति ।

प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में पाया जाता क्योंकि अप्रार्थी विवादित भूमि पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी अपने हिस्से में आई भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। इसलिए विधि के प्रचलित कानून के मुताबिक अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त व दर्ज रिकॉर्ड है तो उसके अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है।

सुविधा का सन्तुलन – भूमि की वर्तमान खातेदारी भूमि है। आवेदक के नाम दर्ज रिकॉर्ड है तथा संयुक्त खातेदारी भूमि है [illegible] भूमि में खातेदार [illegible] हिस्से पर काबिज काश्त है इसलिए यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:10:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स मय इनीशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी हुआ
	बिन्दु भी अप्रार्थी पक्ष के पक्ष [पाया] जाता है। अपूरणीय क्षति - कोई व्यक्ति किसी की (खातेदारी) भूमि में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्योंकि सम्मुख खातेदार है। आवेदक स्वयं खातेदार है तथा जोतक भूमि है। इसलिए अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी अप्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए तीनों ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार नहीं होने से खारिज किया जाता है तथा [illegible] स्थगन आदेश दिनांक 24/5/1 [illegible] जाता है। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से जमा होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:10:44 IST
Reason: SelfAttested